

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

प्रकरण संख्या 217/25
 दाखर दिनांक 27/03/25
 निर्णय दिनांक 27/03/25
 प्रशासन गाँवों के संग-2021

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>कपासन</u> पं०मं० <u>दक्षिण</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>दक्षिण</u> तहसील <u>कपासन</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रेकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	125	खिा-07	8.46	बेरी पुत्री मंगलल जाति-लौदा	बेरी पुत्री मंगलल जाति-लौदा	
मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत <u>2074.78</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है।				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हल्का <u>दक्षिण</u> भू०अ०नि० <u>दक्षिण</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।
दिनांक <u>18.09.24</u> प०मं० <u>कपासन</u>				ह० राजस्व अधिकारी तहसीलदार(भू.अ.) कपासन		प०हल्का <u>दक्षिण</u> भू०अ०नि० <u>दक्षिण</u> राजस्व अधिकारी <u>कपासन</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये।



मेरी

ह० पटवारी

ह० भू०अ०नि० वृत्त

ह० राजस्व अधिकारी तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

ह० उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-बिसौड